बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: संकल्प ::-

संचिका सं0- स0क0निग0-232/2024-1996/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० के पत्रांक-5882 दिनांक-09.10.2024 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में श्रीमती दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय के विरूद्ध सेविका / सहायिका की माह जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक का उपस्थति विवरणी आंगन एप पर ससमय अपलोड नहीं करने तथा श्री राजवंशी महतो, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक-27.02.2024 को सदन में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1967 का उत्तर सामग्री तैयार कर बाल विकास परियोजना, छौड़ाही एवं खोदावंदपुर के क्रमश: पत्रांक-50 दिनांक-16.02.2024 तथा पत्रांक-76 दिनांक-16.02.2024 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को दिया गया है परंतु दिये गये उत्तर सामग्री में प्रश्न क्रमांक-3 के संबंध में मूल तथ्यों को छुपा लिया गया है, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक पाते हुए श्रीमती कुमारी से विभागीय पत्रांक-5927 दिनांक-19.11.2024 एवं पत्रांक-6269 दिनांक-28.11.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिसके आलोक में श्रीमती दर्शना कुमारी के पत्रांक-608 दिनांक-05.12.2024 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद नहीं मानते हुए उपरोक्त अनियमितताओं के लिए श्रीमती दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के तहत उपरोक्त आरापों के संबंध में श्रीमती दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित किया गया। गठित एवं अनुमोदित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(4) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक-6386 दिनांक-29.08.2025, पत्रांक-7053 दिनांक-08.10.2025, पत्रांक-7490 दिनांक-18.11.2025 एवं पत्रांक-61 दिनांक-05.01.2026 द्वारा इनसे लिखित अभिकथन की माँग किये जाने पर इनके पत्रांक-81 दिनांक-27.01.2026 द्वारा लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती दर्शना कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उपवर्णित है।

अत: वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 के अन्तर्गत श्रीमती दर्शना कुमारी के विरूद्ध उक्त आरोपों की जॉच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उक्त नियमावली के नियम-17 में उपबंधित रीति से इनके विरूद्ध आरोपों की जॉच की जाय।

(2) इस विभागीय कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2)(5)(क) एवं (ग) के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री दीपक कुमार चौहान, प्रशाखा पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(3) श्रीमती दर्शना कुमारी से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस के बाद विहित किसी भी समय या आगे अनाधिक दस दिनों के भीतर किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) अनुमति दें, उपस्थित हों तथा अपने बचाव का लिखित पक्ष प्रस्तुत करें।

(4) श्रीमती दर्शना कुमारी को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कंडिका-(3) में निर्धारित समयावधि में यदि अपने बचाव में वे अपना लिखित पक्ष संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) को प्रस्तुत नहीं करती हैं अथवा उनके समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होती हैं अथवा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों का तथा नियमों के आलोक में निर्गत निदेशों का अनुपालन नहीं करती हैं तो संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) उनके विरूद्ध एक पक्षीय जॉच कर सकते हैं।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन) सहित श्री राकेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

साथ ही इस संकल्प की एक-एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की प्रति) सहित उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा श्रीमती दर्शना कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय सम्प्रति बरबीघा, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/4/26

(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-114/2023 - 1996 पटना-15 दिनांक :- 22-4-2026

प्रतिलिपि :- (1) संकल्प में निर्दिष्ट आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ श्री राकेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही का संचालन तुरंत प्रारंभ कर दें तथा अविलंब जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन 02 (दो) माह के अन्दर समर्पित करें। कार्यवाही के अभिलेख में आदेश फलक (ऑर्डरशीट) संलग्न रहनी चाहिए।

(2) प्रतिलिपि :- श्री दीपक कुमार चौहान, प्रशाखा पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखेंगे।

निबंधित

(3) प्रतिलिपि :- श्रीमती दर्शना कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय सम्प्रति बरबीघा, शेखपुरा को आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/4/26
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-232/2024- 1996 पटना-15 दिनांक :- 22-4-2026

ई-मेल/ निबंधित

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, मुंगेर/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/शेखपुरा/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय/शेखपुरा / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/4/26
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

परिशिष्ट-1

आरोप-पत्र

(1) प्रथम भाग - सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1.	नाम	:- श्रीमती दर्शना कुमारी
2.	पदनाम	:- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।
3.	जन्म तिथि	:- 01.03.1982
4.	सेवानिवृत्ति की तिथि	:- 28.02.2042
5.	सेवा/सम्वर्ग का नाम	:- बाल विकास सेवा संवर्ग
6.	पद समूह एवं विभाग	:- समूह "ख" एवं समाज कल्याण विभाग।
7.	वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक	:- 304/2022
8.	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर	:- लेवल-11
9.	आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	:- वर्ष 2024-25, बाल विकास परियोजना पदा०, खोदावन्दपुर, अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय।
10.	बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी के तहत कालबाधित होने की तिथि	:- लागू नहीं।

(संजय कुमार राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी
समाज कल्याण विभाग।

(2) द्वितीय भाग - अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-5882 दिनांक-09.10.2024 द्वारा प्राप्त श्रीमती दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावन्दपुर, अतिरिक्त प्रभार छौंडाही, बेगूसराय के विरुद्ध गठित आरोप पत्र मे प्रतिवेदित है कि विभागीय प्रावधान के तहत उपस्थिति विवरणी माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से अपलोड करा देना था। इस संबंध में निदेशालय से अनेको बार निदेशित किया जाता रहा है एवं स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। इसके बावजूद आँगनवाडी सेविका सहायिका की माह जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक का उपस्थिति विवरणी आंगन ऐप पर ससमय अपलोड नहीं किया जाना घोर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता तथा विभागीय निदेशों के उल्लंघन का द्योतक है एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के उपबंधों एवं बिहार आचार नियमावली-1776 के नियम-3 सामान्य (1) (i) एवं (ii) का उल्लंघन है।
2. श्री राजवंशी महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-27.02.2024 को सदन में पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 1967 का उत्तर सामग्री तैयार कर बाल विकास परियोजना, छोड़ाही एवं खोदावन्दपुर के पत्रांक-50 दिनांक 16.02.2024 तथा पत्रांक-76 दिनांक-16.02.2024 दवारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को दिया गया। परंतु दिए गए उत्तर सामग्री में प्रश्न क्रमांक- 3 के संबंध में मूल तथ्यों को छुपा लिया गया। उत्तर सामग्री में मूल तथ्यों को छुपाना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की स्वेछाचारिता एवं अनुशासनहीता का दयोतक है।
3. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-469 दिनांक-11.04.2025 के माध्यम से प्राप्त पत्र में श्रीमती डॉ० दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावन्दपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय के विरूद्ध साबिक अहमद नजीरी, ग्राम-नुरूल्लाहपुर, पो०-दौलतपुर, थाना व अंचल खोदावन्दपुर, जिला-बेगूसराय के समर्पित परिवाद पत्र के अनुसार आरोप निम्नवत है :-
   I. विभागीय निदेश की अवहेलना कर वितीय कार्य किये जाने, WBNP योजना का चावल आँगनवाड़ी सेविकाओं के भंडार में उपलब्ध रहने के बावजूद भी आँगनवाड़ी सेविकाओं को पोषाहार संचालन हेतु बिना भंडार का सत्यापन किये बगैर WBNP योजना के चावल का मूल्य के अनुरूप पोषाहार की राशि जोड़कर दिये जाने
   II. THR का वितरण नहीं कर राशि बिना किसी आदेश की निकासी करने और विभाग से प्राप्त आवंटित राशि की निकासी किसी आम आदमी के खाते में भेजकर करने एवं उक्त राशि आम आदमी से नकद वापस लेने आदि
4. अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल के द्वारा जाँच के क्रम में उनके द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद डॉ० दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वांछित पंजी / दस्तावेज जैसे- योजनावार आवंटन, कैशबुक, भंडार पंजी / वितरण पंजी एवं व्यवहृत चेकबुक आदि पंजी जाँच हेतु एक लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया जाना स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन एवं लापरवाही का द्योतक है।
5. उक्त से स्पष्ट है कि डॉ० दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावन्दपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय के द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया गया। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम-3 (1) का उल्लंघन है।

13/8/25

(संजय कुमार राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी
समाज कल्याण विभाग।

(3) तृतीय भाग - अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-5882 दिनांक-09.10.2024 द्वारा प्राप्त पत्र में श्रीमती दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावन्दपुर, अतिरिक्त प्रभार छौंड़ाही, बेगूसराय के विरुद्ध गठित आरोप पत्र मे प्रतिवेदित है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावन्दपुर, अतिरिक्त प्रभार छौंडाही, बेगूसराय द्वारा आँगनवाडी सेविका सहायिका की माह जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक का उपस्थिति विवरणी आंगन ऐप पर ससमय अपलोड नहीं किया जाना घोर अनुशासनहीनता/कर्तव्यहीनता तथा विभागीय निदेशों के उल्लंधन का दयोतक है।

    श्रीमती दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावन्दपुर, अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय के पदस्थापन काल में बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक-1675 दिनांक- 10.06.2024 के माध्यम से श्री राजवंशी महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त आश्वासन सं० 464/2024 के आलोक में आई.सी.डी.एस. निदेशालय के पत्रांक-3941 दिनांक-02.07.2024 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय से उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

    विदित है कि समाज कल्याण विभाग अंतर्गत आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा सेविका सहायिका की उपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक आंगन ऐप पर अपलोड करने का प्रावधान निर्गत किया गया है। बेगूसराय जिलान्तर्गत बाल विकास परियोजना, खोदावन्तपुर एवं छौडाही का माह जनवरी 2024 से जून 2024 तक NIC पटना से प्राप्त आंगन ऐप पर सेविका सहायिका अनुपस्थिति विवरणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उपरोक्त परियोजनाओं द्वारा ससमय अनुपस्थिति विवरणी अपलोड नहीं किया गया है। इस प्रकार संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दवारा विभागीय निदेश की अवहेलना किए जाने का स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है।

    पूर्व में भी आई.सी.डी.एस. निदेशालय के पत्रांक-65 दिनांक-31.01.2023 द्वारा आंगन ऐप पर सेविका सहायिका की अनुपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक अपलोड नहीं रहने के कारण संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से कारण पृच्छा की गयी थी। इसके बावजूद श्रीमती दर्शना कुमारी, वाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदाबन्दपुर अतिरिक्त प्रभार छौंड़ाही, बेगूसराय द्वारा ससमय कारण पृच्छा का जवाब नहीं दिया गया है, जो विभागीय आदेश के उल्लंघन एवं संबंधित पदाधिकारी की उदंडता एवं स्वेच्छाचारिता तथा अनुशासनहीनता का घोतक है।

    उपरोक्त परियोजना में उक्त अवधि में श्रीमती दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रही है। पदस्थापन के दौरान ही आंगन ऐप पर सेविका सहायिका अनुपस्थिति विवरणी अपलोड नहीं किया गया है। उक्त से यह कृत्य विभागीय निदेश की अवहेलना का दयोतक है।

2. श्री राजवशी महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-27.02.2024 को सदन में पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 1967 का उत्तर सामग्री तैयार कर बाल विकास परियोजना, छोडाही एवं खोदावन्दपुर के पत्रांक-50 दिनांक-16.02.2024 तथा पत्रांक-76 दिनांक-16.02.2024 दवारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को दिया गया। परंतु दिए गए उत्तर सामग्री में प्रश्न क्रमांक-3 के संबंध में मूल तथ्यों को छुपा लिया गया। उत्तर सामग्री में मूल तथ्यों को छुपाना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की स्वेछाचारिता एवं अनुशासनहीता का दयोतक है।

    अतः यह कृत्य विभागीय निदेशों की अवहेलना के साथ-साथ स्वेज्पचारिता, कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीता का द्योतक है एवं आचरण नियमावली-1976 के पतिकूल है।

3. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-469 दिनांक-11.04.2025 के माध्यम से प्राप्त पत्र में साबिक अहमद नजीरी, ग्राम-नुरूल्लाहपुर, पो०- दौलतपुर, थाना व अंचल खोदावन्दपुर, जिला-बेगूसराय के द्वारा दिनांक-30.05.2014 एवं दिनांक-06.06.2024 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), बेगूसराय को समर्पित परिवाद के अनुसार डॉ० दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावन्दपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौडाही, बेगूसराय के द्वारा विभागीय निदेश की अवहेलना कर वित्तीय कार्य किये जाने, WBNP योजना का चावल

267

आँगनवाड़ी सेविकाओं के भंडार में उपलब्ध रहने के बावजूद भी आँगनवाड़ी सेविकाओं को पोषाहार संचालन हेतु बिना भंडार का सत्यापन किये बगैर WBNP योजना के चावल का मूल्य के अनुरूप पोषाहार की राशि जोड़कर दिये जाने, THR का वितरण नहीं कर राशि बिना किसी आदेश की निकासी करने और विभाग से प्राप्त आवंटित राशि की निकासी किसी आम आदमी के खाते में भेजकर करने एवं उक्त राशि आम आदमी से नकद वापस लेने आदि आरोप से संबंधित कृत कार्य किया गया।

4. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-732, दिनांक-06.07.2024 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल से उक्त परिवाद पत्र जाँच करते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल के पत्रांक-1095, दिनांक-16.10.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें वर्णित आरोपों के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक-686, दिनांक-23.07.2024 से वादी एवं प्रतिवादी को विधिवत नोटिस निर्गत कर साक्ष्य सहित दिनांक-27.07.2024 को पूर्वाहन 11:30 बजे कार्यालय प्रकोष्ठ में सदेह उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। उक्त आलोक में निर्धारित तिथि को उभय पक्ष उपस्थित हुए। तत्पश्चात जाँच के क्रम में परिवाद पत्र में वर्णित आरोपों के आलोक में डॉ० दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से योजनावार आवंटन पंजी, कैश बुक, भंडार पंजी/वितरण पंजी एवं व्यवहृत चेकबुक आदि की माँग करने पर उनके द्वारा वांछित पंजी दूसरे दिन उपलब्ध कराने की बात कही गई, जबकि इस कार्यालय के निर्गत नोटिस में वांछित पंजी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। उनके द्वारा जाँच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया। साथ ही एक लम्बी अवधि के उपरांत भी वांछित पंजी अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया, बल्कि दिनांक-05.08.2024 को डॉ० दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा ई-मेल के माध्यम से अपने पत्रांक-238, दिनांक-01.08.2024 से प्रतिवेदन भेजते हुए अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए तदनुसार प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को भेजने का अनुरोध किया गया है। उक्त आलोक में कार्यालय ज्ञापांक-760, दिनांक-05.08.2024 द्वारा पुनः डॉ० दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके प्रतिउत्तर में डॉ० दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-256, दिनांक-23.08.2024 एवं पत्रांक-360, दिनांक-23.08.2024 से वांछित पंजी / दस्तावेज जाँच हेतु यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की बात कही गई, परन्तु एक लम्बी अवधि बीत जाने उपरांत भी वांछित पंजी /दस्तावेज जाँच हेतु अबतक उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार डॉ० दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का यह कृत स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन एवं लापरवाही का द्योतक है और प्रथम दृष्टया वादी द्वारा लगाये गये आरोपों को संपुष्ट करता है।

5. उक्त से स्पष्ट है कि डॉ० दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावन्दपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौडाही, बेगूसराय के द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया गया। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम-3 (1) का उल्लंघन है।

(संजय कुमार राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी
समाज कल्याण विभाग।

चतुर्थ भाग - (क) दस्तावेजों की सूची

(जिनके द्वारा आरोप की मदो को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क्र०	संबंधित पत्र / अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1	बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 1675 दिनांक 10.06.2024	01
2	आई.सी.डी.एस. निदेशालय का पत्रांक 3941 दिनांक 02.07.2024	01
3	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय का पत्रांक 731 दिनांक 05.07.2024	04
4	अनुपस्थिति विवरणी	01
5	आई.सी.डी.एस. निदेशालय का पत्रांक 65 दिनांक 31.01.2023	04
6	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, छौडाही, बेगूसराय का पत्रांक 50 दिनांक 16.02.2024	01
7	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावन्दपुर, बेगूसराय का पत्रांक 76 दिनांक 16.02.2024	01
8	साबिक अहमद नजीरी, ग्राम-नुरूल्लाहपुर, पो०-दौलतपुर, थाना व अंचल-खोदावन्दपुर, जिला-बेगूसराय के दिनांक-30.05.2014 एवं दिनांक-06.06.2024 परिवाद पत्र।	04
9	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), बेगूसराय के पत्रांक-732, दिनांक-06.07.2024	01
10	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, छौड़ाही के पत्रांक-238, दिनांक-01.08.2024	01
11	अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल के ज्ञापांक-760, दिनांक-05.08.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण	01
12	अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल के ज्ञापांक-668, दिनांक-23.07.2024 द्वारा निर्गत नोटिस	01
13	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), बेगूसराय के पत्रांक-986, दिनांक-23.08.2024 एवं श्रीमती ललिता देवी, पति-सुदामा पासवान का परिवाद पत्र	02
14	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, छौड़ाही के पत्रांक-256, दिनांक-23.08.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव	02
15	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावन्दपुर के पत्रांक-367, दिनांक-23.08.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव।	02
16	अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल के पत्रांक-1095, दिनांक-16.10.2024	01

साक्षियों की सूची (ख)

नाम एवं पदनाम :-

1. श्रीमती नसीमुस्सबाह नईय्यर, तत्कालीन सांख्यिकी पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, निदेशालय सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना।
2. साबिक अहमद नजीरी, ग्राम-नुरूल्लाहपुर, पो०-दौलतपुर, थाना व अंचल खोदावन्दपुर, जिला-बेगूसराय।
3. श्रीमती सुगंधा शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), बेगूसराय।
4. श्री प्रमोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल।
5. श्रीमती ललिता देवी, पति- सुदामा पासवान, सिओरी, पी.ओ. मंझौल, चेरिया बरियारपुर, जिला-बेगूसराय-851127

(संजय कुमार राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी
समाज कल्याण विभाग।

2902654

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र-संख्या-रा०आ०स०-11/2024 1675 /वि०स० ।

प्रेषक,

राम कुमार यादव
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक - 10/06/2024

विषय:- श्री राजवंशी महतो, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं०-941 (थ-26) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या-464/24 के संबंध में ।

महोदय,

सप्तदश बिहार विधान सभा के दशम सत्र में दिनांक-27.02.2024 को सदन पटल पर रखे गए प्रश्नोत्तर का उद्धरण संलग्न करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि विषयांकित मामले पर प्रभारी मा० मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के आलोक में शीघ्र कार्रवाई कर राजकीय आश्वासन समिति की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की आंतरिक नियमावली के नियम-11 के अन्तर्गत अधिक-से-अधिक 60 (साठ) दिनों के अन्दर कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

10/06/2024
(राम कुमार यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बिहार सरकार

समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय, बिहार

(समाज कल्याण विभाग)

द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना - 800001
फोन : +91-612-2547341, ईमेल : icds-bih@gov.in , website : www.icdsbih.gov.in

बिहार सरकार

संचिका सं0 :- ICDS/90010/21-2024....3951...... दिनांक:- 02/07/24

प्रेषक,

प्रभारी पदाधिकारी स्थापना

आई.सी.डी.एस. निदेशालय

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,

बेगूसराय।

विषय :- **श्री राजवंशी महतो, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं०- 941 (थ-26) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या- 464/24 का उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :- अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना का पत्रांक- 1675 दिनांक- 10.06.2024 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से श्री राजवंशी महतो, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं०- 941 (थ-26) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या- 464/24 उपलब्ध कराया गया है, जो आपके जिला से संबंधित है।

अत: प्रासंगिक प्रश्न पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

प्रभारी पदाधिकारी स्थापना

आई.सी.डी.एस. निदेशालय

ज्ञापांक :- ICDS/90010/21-2024...3951....... दिनांक:- 02/07/24

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- बाल विकास परियोजना कार्यालय, खोदावन्दपुर, चेरियाबरियापुर एवं छौड़ाही, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी स्थापना

आई.सी.डी.एस. निदेशालय

(19)

समाहरणालय, बेगूसराय
(आई0सी0डी0एस0 शाखा)

बिहार सरकार

I.C.D.S

पत्रांक– 731 / दिनांक– 05.07.2024 /

प्रेषक,

रौशन कुशवाहा (भा0प्र0से0),
जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी –सह–
लिंक पदाधिकारी, स्थापना
आई0सी0डी0एस0 निदेशालय,
बिहार, पटना।

विषयः– श्री राजवंशी महतो, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या– 941(थ–26) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या– 464/24 का उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के पत्रांक– 3941, दिनांक– 02.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री राजवंशी महतो, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या– 941(थ–26) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या– 464/24 का उत्तर सामग्री अनुलग्नक सहित पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाती है।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक	जिला का नाम	परियोजना का नाम	जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024	अप्रैल 2024	मई 2024	जून 2024
1	बेगूसराय	चेरिया बरियारपुर	07.02.2024	07.03.2024	03.04.2024	18.05.2024	24.06.2024	15.07.2024
			07.03.2024	21.06.2024	21.06.2024	NULL	NULL	NULL
			21.06.2024	NULL	NULL			
			21.06.2024					
2		छौड़ाही	16.02.2024	03.03.2024	05.04.2024	16.05.2024	11.06.2024	15.07.2024
			03.03.2024	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
			NULL					
3		खुदावन्तपुर	07.02.2024	07.03.2024	04.04.2024	18.05.2024	07.06.2024	04.07.2024
						NULL	07.06.2024	NULL

बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)

[illegible]

पत्रांक ICDS/30030/02-2022 [illegible] दिनांक [illegible]

प्रेषक,

निदेशक
[illegible]

सेवा में,

संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।

विषय:— [illegible] अनुपस्थिति विवरणी [illegible]
[illegible]

महाशय,

उपर्युक्त विषयक [illegible] 10 वीं तारीख तक अपलोड करने हेतु निदेशालय द्वारा [illegible] अनुपस्थिति विवरणी [illegible] 2022 [illegible]

[illegible]

[illegible]

अनु० सूची संलग्न।

[illegible]

ज्ञापांक ICDS/30030/02-2022 ......64...... दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि [illegible]

Quarter 3 2022 में सेविका/सहायिका की मानदेय की स्थिति

Date 20.01.2023

District	Project	Oct Total Percentage	Nov Total Percentage	Dec Total Percentage	Q3 Average
ARARIA	Kursakata	0	0	0	0
AURANGABAD	Nabinagar	0	0	0	0
BANKA	Bausi	0	0	0	[illegible]
BANKA	Katoria	0	0	0	0
BEGUSARAI	Barauni	0	0	0	0
BEGUSARAI	Begusarai Sadar	0	0	0	0
BEGUSARAI	Cheriya Bariyarpur	0	0	0	0
BHAGALPUR	Sanhaula	0	0	0	0
DARBHANGA	Baheri	0	0	0	[illegible]
GAYA	Guraru	0	0	0	0
JAMUI	Jamui	0	0	0	0
KATIHAR	Manihar	0	0	0	0
LAKHISARAI	Suryagarha	0	0	0	0
MUNGER	Sangrampur	0	0	0	0
MUNGER	Tetia Bambar	0	0	0	0
PATNA	Danapur	0	0	0	0
PATNA	Patna Sadar	0	0	0	0
PATNA	Punpun	0	0	0	0
PURBI CHAMPARAN	Gorhasahan	0	0	0	0
PURBI CHAMPARAN	Madhuban	0	0	0	0
PURBI CHAMPARAN	Motihari Urban	0	0	0	0
PURBI CHAMPARAN	Paharpur	0	0	0	0
PURBI CHAMPARAN	Patahi	0	0	0	[illegible]
PURBI CHAMPARAN	Phenhara	0	0	0	0
PURBI CHAMPARAN	Piprakothi	0	0	0	0
PURBI CHAMPARAN	Sangrampur	0	0	0	0
PURBI CHAMPARAN	Tetaria	0	0	0	0
SAMASTIPUR	Bibhutipur	0	0	0	0
SAMASTIPUR	Khanpur	0	0	0	0
SAMASTIPUR	Mohiuddin Nagar	0	0	0	0
SAMASTIPUR	Vidyapati Nagar	0	0	0	0
SARAN	Chapra Gramin	0	0	0	0
SARAN	Dhopur	0	0	0	0
SARAN	Jalalpur	0	0	0	0
SHEIKHPURA	Chewara	0	0	0	[illegible]
SITAMARHI	Farsanchowk	0	0	0	0
SITAMARHI	Majorganj	0	0	0	[illegible]
SITAMARHI	Runnisaidpur	0	0	0	0
SUPAUL	Basantpur	0	0	0	0
SUPAUL	Nirmali	0	0	0	0
SUPAUL	Raghopur	0	0	0	0
SAHARSA	Simri Bakhtiyarpur	0	0	0	0
SARAN	Chapra Sadar	0	0	0	0
PURBI CHAMPARAN	Ramgarhwa	0	0	0	0
PURBI CHAMPARAN	Bankatwa	0	0	0	0
MADHEPURA	Chausa	0	0	0	0

(6)

बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)

[illegible]
फोन: +91 612 2547341 [illegible] website www.icdsbih.gov.in

बिहार सरकार

संचिका सं0 - ICDS/30030/02-2022 65 दिनांक 31/01/2023

प्रेषक,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0।

सेवा में,

संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।

विषय: अंगन ऐप पर सेविका/सहायिका की अनुपस्थिति विवरणी अपलोड करने [illegible] के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि अंगन ऐप पर कार्यरत सेविका/सहायिका की अनुपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख तक अपलोड करने हेतु निदेशालय द्वारा [illegible] निर्देश [illegible] तक अनुपस्थिति विवरणी (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2022) का 80 % [illegible] आपकी कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है [illegible] अनुपस्थिति विवरणी अपलोड होने के कारण सेविका/सहायिका [illegible] आपके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभाग को सूचित किया जाएगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि इसमें संबंधित स्पष्टीकरण [illegible] करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0-सूची संलग्न।

विश्वासभाजक

ह0/-
निदेशक,
आई0सी0डी0एस0

ज्ञापांक- ICDS/30030/02-2022 65 दिनांक 31/01/2023

प्रतिलिपि- [illegible] पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमण्डल को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 31/1/23
निदेशक,
आई0सी0डी0एस0

(15)

Quarter 3 2022 में सेविका/सहायिका की मानदेय की स्थिति

Date 20.01.202[illegible]

[illegible]	District	Project	Oct Total Percentage	Nov Total Percentage	Dec Total Percentage	Q3 Average
[illegible]	DARBHANGA	Singhwara	1	1	1	1
[illegible]	DARBHANGA	Jale	4	4	1	3
[illegible]	SAHARSA	Sonbarsa	9	0	[illegible]	3
[illegible]	PATNA	Naubatpur	17	0	[illegible]	4
[illegible]	SARAN	Baniyapur	13	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SAMASTIPUR	Shivaji Nagar	17	0	0	[illegible]
[illegible]	ARARIA	Jokihat	7[illegible]	0	0	23
[illegible]	SARAN	Panapur	48	18	17	[illegible]
[illegible]	SIWAN	Basantpur	85	0	0	28
[illegible]	SARAN	Parsa	85	0	0	28
[illegible]	DARBHANGA	Manigachhi	86	0	0	29
[illegible]	PURBI CHAMPARAN	Turkaulia	86	0	0	29
[illegible]	SAMASTIPUR	Kalyanpur	86	0	0	29
[illegible]	BEGUSARAI	Naokothi	90	0	0	30
[illegible]	KAIMUR	Adhaura	90	0	0	30
[illegible]	BHOJPUR	Piro	91	0	0	30
[illegible]	BHOJPUR	Barhara	91	0	0	30
18	MADHUBANI	Jhanjharpur	91	0	0	30
[illegible]	MADHUBANI	Harlakhi	91	0	0	30
[illegible]	SARAN	Lahladpur	92	0	0	31
[illegible]	PURBI CHAMPARAN	Narkatiya	92	0	0	31
[illegible]	BEGUSARAI	Dandari	92	0	0	31
[illegible]	DARBHANGA	Kusheshwar Asthan	93	0	0	31
[illegible]	SIWAN	Ziradei	93	0	0	31
[illegible]	SARAN	Sonpur	93	0	0	31
[illegible]	PURBI CHAMPARAN	Chiraiya	94	0	0	31
[illegible]	SIWAN	Hasanpura	94	0	0	31
[illegible]	SARAN	Marhaura	94	0	0	31
[illegible]	SARAN	Chapra	94	0	0	31
[illegible]	SAHARSA	Nauhatta	94	0	0	31
[illegible]	SIWAN	Siswan	96	0	0	32
[illegible]	MADHUBANI	Laukaha	95	0	0	32
[illegible]	PURBI CHAMPARAN	Mehsi	95	0		32
[illegible]	ROHTAS	Karakat	95	0	0	32
[illegible]	SITAMARHI	Pathardiha	95	0	0	32
[illegible]	SIWAN	Nautan	95	0	0	32
[illegible]	SARAN	Ekma	0	0	96	32
[illegible]	KAIMUR	Ramgarh	96	0	0	32
[illegible]	NAWADA	Hisua	96	0	0	32
[illegible]	MADHUBANI	Khajauli	96	0	0	32
[illegible]	BUXAR	Buxar	96	0	0	32
[illegible]	KISHANGANJ	Kochadhaman	96	0	0	32
[illegible]	PURBI CHAMPARAN	Motihari Rural	96	0	0	32
[illegible]	PURBI CHAMPARAN	Pakridayal	96	0	0	32
[illegible]	ARARIA	Raniganj	96	0	0	32
[illegible]	ROHTAS	[illegible]	96	0	0	32
[illegible]	MADHUBANI	Andhrathari	97	0	0	32
[illegible]	VAISHALI	Raghopur	97	0	0	32
[illegible]	BEGUSARAI	Mansurchak	97	0	0	32
[illegible]	MADHUBANI	Benipatti	97	0	0	32
[illegible]	JEHANABAD	Kako	97	0	0	32
[illegible]	ARWAL	Kaler	97	0	0	32
[illegible]	JEHANABAD	Ratni Faridpur	97	0	[illegible]	32
[illegible]	MADHEPURA	Kumarkhand	97	[illegible]	0	32
[illegible]	ROHTAS	[illegible]	97	[illegible]	[illegible]	32
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	97	[illegible]	32
[illegible]	BUXAR	Simri	97	0	0	32
[illegible]	PASCHIM CHAMPARAN	Lauriya	98	0	0	33
[illegible]	NAWADA	Warisaliganj	98	0	0	33
[illegible]	BHAGALPUR	Nathnagar	98	0	0	33
[illegible]	SAMASTIPUR	[illegible]	98	[illegible]	0	33
[illegible]	PURBI CHAMPARAN	Kalyanpur	98	0	0	33
[illegible]	MADHEPURA	[illegible]	99	0	0	33
[illegible]	KATIHAR	Azamnagar	99	0	0	33
[illegible]	SITAMARHI	Sonbarsa	99	0	0	33
[illegible]	BHOJPUR	Sahar	67	34	0	34
[illegible]	MADHUBANI	Rajnagar	39	64	0	35
[illegible]	BUXAR	Chaugain [illegible]	72	34	0	35
[illegible]	SARAN	Maker	96	23	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	53	68	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PURNIA	Dhamdaha	38	82	1	[illegible]
[illegible]	BHAGALPUR	Kahalgaon	59	63	0	[illegible]
[illegible]	VAISHALI	Mahnar	42	84	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DARBHANGA	[illegible]	79	63	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SARAN	[illegible]	81	54	1	[illegible]
[illegible]	PATNA	[illegible]	73	73	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PURNIA	[illegible]	92	47	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SAMASTIPUR	[illegible]	45	93	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PATNA	Bakhtiyarpur	85	63	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PURNIA	Srinagar	92	63	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ROHTAS	Chenari	83	82	0	[illegible]
[illegible]	ARARIA	Narpatganj	99	60	11	[illegible]
[illegible]	SIWAN	[illegible]	83	83	0	[illegible]
[illegible]	BEGUSARAI	[illegible]	83	85	0	[illegible]
[illegible]	LAKHISARAI	Ramgarh Chowk	92	78	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	93	79	0	[illegible]
[illegible]	[illegible] CHAMPARAN	[illegible]	86	86	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	74	74	[illegible]	[illegible]

(a)

[illegible]	PURBI CHAMPARAN	Bargaria	87	87	2	55
[illegible]	ROHTAS	Dawath	87	87	[illegible]	55
91	NAWADA	Sirdala	88	88	12	57
92	JAMUI	Barhat	83	83	15	59
93	SHEIKHPURA	Shekhopur Sarai	88	95	0	59
94	BEGUSARAI	Sharpur Kamal	86	92	0	59
95	DARBHANGA	Kusheshwar Asthan Purbi	89	89	0	59
96	PURNIA	Purnia East Urban	98	80	0	60
97	NAWADA	Nawada Sadar	89	89	0	60
98	MADHUBANI	Bisfi	90	90	0	60
99	SIWAN	Gutham	90	90	0	60
100	PASHCHIM CHAMPARAN	Nautan	97	83	0	61
101	DARBHANGA	Gora Bauram	90	93	[illegible]	6[illegible]
102	KHAGARIA	Alauli	91	91	[illegible]	6[illegible]
103	BEGUSARAI	Tegra	97	84	3	62
104	PURNIA	Kasba	99	84	0	63
105	JAMUI	Sikandra	92	91	0	63
106	MADHUBANI	Madhepur	91	91	0	63
[illegible]	[illegible]	Mahana	88	95	3	63
[illegible]	SARAN	Tarariya	87	96	0	63
109	SITAMARHI	Parsauni	92	92	0	63
[illegible]	SAMASTIPUR	Dalsingsarai	98	85	0	63
[illegible]	PURNIA	Banmankhi	92	93	2	63
112	DARBHANGA	Bahadurpur	92	92	0	[illegible]
113	BEGUSARAI	Garhpura	92	92	[illegible]	62
114	SARAN	Dighwara	93	92	0	62
[illegible]	ROHTAS	Suryapura	93	92	0	62
116	PATNA	Patna Sadar (1) W (14-20)	89	96	0	62
117	SITAMARHI	Nanpur	93	93	0	63
118	NALANDA	Ben	93	93	0	62
119	LAKHISARAI	Piparya	93	93	0	62
120	BUXAR	Brahmpur	93	96	0	62
121	PASHCHIM CHAMPARAN	Bagaha	97	96	[illegible]	62
[illegible]	ARARIA	Bhargama	94	93	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MADHUBANI	Rahika	91	93	[illegible]	63
[illegible]	DARBHANGA	Hayaghat	94	94	[illegible]	63
[illegible]	NAWADA	Banaura Urban	94	92	[illegible]	63
[illegible]	SITAMARHI	Pupri	93	93	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PATNA	Bikram	94	94	[illegible]	63
[illegible]	NAWADA	Sarahna	94	94	[illegible]	63
[illegible]	MUNGER	Munger Urban	94	96	[illegible]	63
[illegible]	ARARIA	Palasi	95	96	[illegible]	63
[illegible]	VAISHALI	Raghopur Rural	95	93	[illegible]	63
[illegible]	MADHUBANI	Lakhnaur	94	94	0	63
133	NALANDA	Karai Parsurai	94	95	0	63
134	VAISHALI	Goraul	95	95	0	63
135	PATNA	Patna Rural	95	95	0	63
136	KATIHAR	Barari	95	95	0	63
137	SARAN	Nagara	95	92	0	63
138	VAISHALI	Patepur	95	95	1	63
139	PATNA	Dulhinbazar	95	95	1	[illegible]
[illegible]	SITAMARHI	Parihar	95	93	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MADHUBANI	Jhanjharpur	95	[illegible]	0	63
[illegible]	DARBHANGA	Alinagar	95	94	[illegible]	63
[illegible]	SITAMARHI	Suppi	95	93	0	63
[illegible]	KHAGARIA	Khagaria	95	95	[illegible]	63
[illegible]	SITAMARHI	Riga	95	93	0	63
146	SITAMARHI	Dumra Urban	95	95	0	64
147	MADHEPURA	Madhepura	95	95	0	64
[illegible]	GAYA	Belaganj	95	95	[illegible]	64
[illegible]	MADHUBANI	Babubarhi	96	95	[illegible]	64
[illegible]	PASHCHIM CHAMPARAN	Chanpatia	95	95	0	[illegible]
[illegible]	BUXAR	Chakki	95	95	[illegible]	[illegible]
152	PATNA	Dhanarua	96	95	3	[illegible]
153	SITAMARHI	Belsand	95	85	10	63
154	NAWADA	Gobindpur	96	96	0	64
[illegible]	SUPAUL	Pratapganj	96	96	0	64
156	LAKHISARAI	Barahiya	95	95	0	64
157	SAMASTIPUR	Singhia	96	96	0	64
158	PATNA	Paliganj	96	96	0	64
159	VAISHALI	Sahdai Buzurg	96	96	1	64
[illegible]	ROHTAS	Sanjhauli	96	96	1	64
[illegible]	BUXAR	Rajpur	96	96	1	64
[illegible]	SHEIKHPURA	Sheikhpura	96	96	0	64
163	PURBI CHAMPARAN	Areraj	95	97	0	64
164	DARBHANGA	Biraul	96	96	[illegible]	63
[illegible]	SAMASTIPUR	Vidyapati Nagar	96	96	[illegible]	63
[illegible]	SAMASTIPUR	Morwa	96	96	[illegible]	[illegible]
[illegible]	JAMUI	Jhajha	96	96	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SIWAN	Siswan	96	96	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DARBHANGA	Ghanshyampur	96	96	[illegible]	64
170	DARBHANGA	Singhwara	96	96	[illegible]	64
171	AURANGABAD	Daudnagar	96	96	0	[illegible]
[illegible]	BEGUSARAI	Matihani	96	96	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MUNGER	Asarganj	97	96	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MADHUBANI	Madhubani	96	97	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MADHUBANI	Pandaul	96	96	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PASHCHIM CHAMPARAN	Narkatiaganj	96	96	[illegible]	64
[illegible]	PURNIA	Jalalgarh	96	97	[illegible]	64
[illegible]	SITAMARHI	Bajpatti	96	96	[illegible]	64
[illegible]	MADHUBANI	Basopatti	96	96	[illegible]	64
[illegible]	BEGUSARAI	Khodawandpur	97	97	[illegible]	64
[illegible]	AURANGABAD	Obra	97	97	[illegible]	64
[illegible]	MUZAFFARPUR	Paroo	97	96	[illegible]	[illegible]

(3)

समेकित बाल विकास परियोजना छौड़ाही, बेगूसराय

प्रेषक, पत्रांक 50 / दिनांक 16/02/2024

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
छौड़ाही, बेगूसराय।

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
बेगूसराय।

विषय – श्री राजवंशी महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–1967 का उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आलोक में कहना है कि श्री राजवंशी महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–1967 का उत्तर विन्दुवार निम्नवत् है:–

क्रमांक	पूछे जाने वाले प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत चेरिया बरियारपुर, छौड़ाही एवं खोदावन्दपुर प्रखण्डों में से एक ही प्रखण्ड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पदस्थापित है और बांकी प्रखण्डों का भी प्रभार उन्हें ही दे दिया गया है;	खंड एक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का मूल पदस्थापन खोदावन्दपुर प्रखण्ड है, तथा पदाधिकारियों की कमी के कारण सबसे नजदीकी परियोजना छौड़ाही तथा चेरिया बरियारपुर का प्रभार जुलाई 2023 में प्रदत्त है। विभागीय पत्रांक 1115 दिनांक 16.03.2017 का अवलोकन करना चाहेंगे। ध्यातव्य है कि समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 6213 दिनांक 12.12.23 के द्वारा छौड़ाही परियोजना में विभाग द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर लगातार सेविकाओं/सहायिकाओं द्वारा भ्रष्टाचार आदि का आरोप प्राप्त हो रहा है;	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं के द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी लिखित आरोप कार्यालय को प्राप्त नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त कार्यालय के कार्यपालक सहायक के द्वारा ससमय सेविकाओं/सहायिकाओं का उपस्थिति विवरणी वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया जाता है;	परियोजनान्तर्गत कार्यरत सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं का उपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह ससमय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाता है। माह जनवरी 2024 तक अद्यतन अपलोड है। छायाप्रति संलग्न

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 16/02/2024

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
छौड़ाही, बेगूसराय।

Scanned with CamScanner

समेकित बाल विकास परियोजना खोदावन्दपुर, बेगूसराय

पत्रांक 76 / दिनांक 16/02/2024

प्रेषक,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
खोदावन्दपुर, बेगूसराय।

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
बेगूसराय।

विषय - श्री राजवंशी महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–1967 का उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक आलोक में कहना है कि श्री राजवंशी महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–1967 का उत्तर बिन्दुवार निम्नवत् है:–

क्रमांक	पूछे जाने वाले प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत चेरिया बरियारपुर, छौड़ाही एवं खोदावन्दपुर प्रखण्डों में से एक ही प्रखण्ड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पदस्थापित हैं और बांकी प्रखण्डों का भी प्रभार उन्हें ही दे दिया गया है:	खंड एक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का मूल पदस्थापन खोदावन्दपुर प्रखण्ड है, तथा पदाधिकारियों की कमी के कारण सबसे नजदीकी परियोजना छौड़ाही तथा चेरिया बरियारपुर का प्रभार जुलाई 2023 में प्रदत्त है। विभागीय पत्रांक 1115 दिनांक 16.03.2017 का अवलोकन करना चाहेंगे। ध्यातव्य है कि समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 6213 दिनांक 12.12.23 के द्वारा छौड़ाही परियोजना में विभाग द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर लगातार सेविकाओं/सहायिकाओं द्वारा भ्रष्टाचार आदि का आरोप प्राप्त हो रहा है:	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर आँगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं के द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी लिखित आरोप कार्यालय को प्राप्त नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त कार्यालय के कार्यपालक सहायक के द्वारा ससमय सेविकाओं/सहायिकाओं का उपस्थिति विवरणी वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया जाता है:	परियोजनान्तर्गत कार्यरत सभी आँगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं का उपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह ससमय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाता है। माह जनवरी 2024 तक अद्यतन अपलोड है। छायाप्रति संलग्न

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 16/02/2024

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
खोदावन्दपुर, बेगूसराय।

Scanned with CamScanner

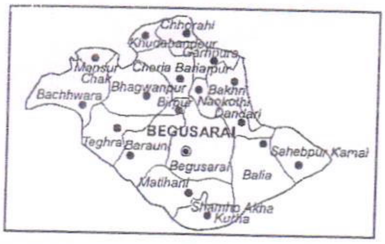

249

Email :- dm-begusarai.bih@nic.in
दूरभाष :- 06243–222285 (कार्या0)
06243–230569 (आवास)
06243–230584 (आवास)
06243–230571 (आ0फैक्स)

बिहार सरकार
समाहरणालय, बेगूसराय
(जिला स्थापना शाखा)

5229
10-7-25

पत्रांक 843 / स्था0, दिनांक 07/07/25

प्रेषक,

तुषार सिंगला, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– श्रीमती दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावन्दपुर अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही के विरूद्ध आरोप पत्र में उल्लेखित अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 5084 पटना, दिनांक 30.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्रीमती दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावन्दपुर अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के चतुर्थ भाग (क) दस्तावेजो की सूची में उल्लेखित संबंधित पत्र/अभिलेख की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

4/7/25

जिला पदाधिकारी
बेगूसराय।

C:\Users\edc-b\OneDrive\Desktop\Letter Head.docx

248

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (I.C.D.S.)
बेगूसराय।

विषयः— डॉ0 दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खोदावन्दपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, (बेगूसराय) द्वारा विभागीय एवं निदेशालय निदेश की अवहेलना कर वित्तीय कार्य के साथ विभागीय कार्य के निष्पादन की जाँच करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि डॉ0 दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खोदावन्दपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही (बेगूसराय) द्वारा परियोजना में समाज कल्याण विभाग एवं आई0सी0डी0एस0 द्वारा दिये गये निदेश की अवहेलना कर वित्तीय कार्य किये जा रहे हैं जैसे WBNP योजना का चावल भण्डार में रहने के बावजूद आँगनबाड़ी सेविका को पोषाहार संचालन हेतु बिना सेविका के भण्डार का आवलोकन किये बिना WBNP चावल का मूल्य के अनुरूप उक्त माह में पोषाहार की राशि जोडकर दिया जा रहा है जो वित्तीय [illegible] का मामला है तथा परियोजना में निदेशक महोदय ICDS बिहार पटना से [illegible] आवंटन प्राप्त होने के बावजूद सभी आँगनबाड़ी सेविका के आँगनबाड़ी विकास समिति के खाते [illegible] नही भेजी जा रही है जिससे यहाँ के लाभुक वंचित हो रहे हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय [illegible] पारित आदेश की अवहेलना को दर्शाता है। इनके अतिरिक्त प्रभार वाले परियोजना छौड़ाही में [illegible] अप्रैल माह में THR का वितरण नहीं कराया गया तथा उसी माह की राशि को बिना कोई [illegible] के ही 15 मई 2024 का परियोजना के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में [illegible] इतनी बड़ी वित्तीय राशि का वितरण बिना आदेश के [illegible] उत्पन्न हो रहा है, जो वित्तीय निदेश की अवहेलना है। [illegible] हुई है कि इसी माह में इनके द्वारा 15.05.2024 का THR वितरण कराने के उपरांत [illegible] माह मई में ही 23 लाख से अधिक की राशि पोषाहार वितरण कराने हेतु की गई है।

इनके पदस्थापित या अतिरिक्त प्रभार वाले परियोजना में आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत माँगी गई सूचना इनके द्वारा आज तक उपलब्ध नहीं करायी जाती है और न ही आम जनता द्वारा दिये गये परिवाद के आलोक में कोई भी कार्रवाई की जाती है। इनके आगत पंजी में प्राप्त परिवाद में किये गये निष्पादन से [illegible] की जा सकती है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई कुल सूचना इनके [illegible] सूचना संबंधी पंजी के अवलोकन से आरोप की जाँच की सकती है।

यहाँ एक वित्तीय मामला काफी झकझोर कर देने वाली है कि इनके बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खोदावन्दपुर में पदस्थापित परियोजना के प्रधान सहायक एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खोदावन्दपुर डॉ0 दर्शना कुमारी के द्वारा ICDS निदेशालय से प्राप्त [illegible] की राशि किसी आम आदमी के खाते में भेजकर उक्त आम आदमी से [illegible] निकासी करवाकर वापस प्रधान सहायक एव पदाधिकारी के [illegible] लिया गया [illegible] विभागीय ICDS निदेशालय के निदेशानुसार एव वित्त विभाग के निदेश की अवहेलना कर सरकारी राशि का दुरूपयोग कर प्रधान सहायक एवं डॉ0 दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना खोदावन्दपुर के द्वारा वित्तीय अनियमित्ता की जाती है जो सरकारी राशि गबन का मामला है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि श्रीमती डॉ0 दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खोदावन्दपुर अतिरिक्त प्रभार बाल विकास परियोजना छौड़ाही का आप स्वयं या वरीय पदाधिकारी महोदय, लेखा या समाज कल्याण विभाग के निगरानी कोषांग से जाँच कराते हुए कठोर कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन सचिव महोदय, समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के साथ–साथ विभाग के माननीय मंत्री जी के आप्त सचिव महोदय, समाज कल्याण विभाग बिहार पटना को उपलब्ध करायी जाय ताकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद के दुरूपयोग कर विभागीय ICDS निदेशालय के निदेश की अवहेलना कर सरकारी राशि का दुरूपयोग कर सरकारी राशि गबन करने के आरोप में पदस्थापित प्रधान सहायक श्री मार्तण्डनाथ ठाकुर (संविदा लिपिक) एवं डॉ0 दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खोदावन्दपुर अतिरिक्त प्रभार बाल विकास परियोजना छौड़ाही (बेगूसराय) को अविलम्ब निलंबन हेतु आवश्यक कार्यार्थ करते हुए सेवा से बरर्खास्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय, तथा कृत कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराने की कृपा की जाय। चूँकि उपरोक्त सभी वित्तीय आरोप साक्ष्य जाँच के क्रम में उजागर किया जा सकता है। अन्यथा पुनः संबंधित प्रधान सहायक एवं संबंधित पदाधिकारी के द्वारा और अधिक वित्तीय अनियमित्ता कर गबन का मामला किया जा सकता है। जिसकी पूर्ण जवाबदेही आपकी भी होगी।

विश्वासभाजन

[illegible]

ग्राम– [illegible]

पोस्ट–[illegible]

थाना–[illegible]

जिला–बेगूसराय।

पिन कोड [illegible]

मोबाईल नं0 [illegible]

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी महोदय, बेगूसराय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः–निदेशक महोदय, ICDS बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, (निगरानी) समाज कल्याण विभाग बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः–सचिव महोदय, समाज कल्याण विभाग बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव महोदय, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक [illegible]र्थ समर्पित। साथ ही महोदय से अनुरोध है कि अपने स्तर से विभागीय टीम गठित कर जाँच कराते हुए दोषी कर्मी एवं पदाधिकारी को सख्त कार्रवाई करने की कृपा की जाय [illegible] अनियमित्ता एवं राशि गबन का मामला है।

246

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0)

बेगूसराय ।

विषयः— आई0सी0डी0एस0 बेगूसराय जिला अन्तर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी छौड़ाही द्वारा विभागीय निदेश की अवहेलना कर पुनः माह मई 2024 का पोषाहार वितरण की राशि एडवाईस के माध्यम से परियोजना अन्तर्गत सभी ऑगनवाड़ी केन्द्र के ऑगनवाड़ी विकास समिति के खाता संख्या पर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध है कि आई0सी0डी0एस0 बेगूसराय जिला अन्तर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी छौड़ाही द्वारा 15.05.2024 को सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर टी0 एच0 आर0 का वितरण कराया गया है वो भी किसी विभागीय /निदेशालय के आदेश के आलोक में ?

पुनः आपके द्वारा माह मई 2024 में पोषाहार वितरण हेतु विश्वस्त्रों से ज्ञात हुआ है कि लगभग 23 लाख रूपये भेज दी गयी जिसके आलोक में बाल विकास [illegible] पदाधिकारी द्वारा माह मई 2024 हेतु पोषाहार की राशि सभी [illegible] ऑगनवाड़ी विकास समिति के खाते पर भेज दी गयी है। मेरे द्वारा इस संबंध में पूर्व में भी परिवाद एवं सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा भी 15.05.2024 द्वारा करायी गयी टी0 एच0 आर0 वितरण विभागीय/निदेशालय ,वरीय पदाधिकारी [illegible] संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी छौड़ाही के द्वारा निर्गत आदेश पत्र कि प्रति की माँग कि गई है जो आज तक अप्राप्त है एवं संबंधित पदाधिकारी के द्वारा विभागीय निदेश की अवहेलना कर वित्तीय कार्य करने संबंधी परिवाद दी गयी जिसके आलोक में भवदीय के स्तर से आज तक काई कार्रवाई नहीं की गई जिसके [illegible] काफी बढ़ा है जिसका प्रतिफल पुनः 15.05.2024 को छौड़ाही परियोजना में टी0 एच0 आर0 वितरण कराने के वाद पुनः उसी माह मई 2024 का एडवाईस विगत 2 से 3 दिन पहले पुनः दिया गया है और फिर से माह मई का पोषाहार वितरण पूरे परियोजना में करवाया जायेगा जो आई0सी0डी0एस0 निदेशलय एवं समाज कल्याण विभाग [illegible] द्वारा निर्गत निदेश की अवहेलना को प्रदार्शित कर रहा है तथा उनके द्वारा [illegible]

245—

2024 से आज आँगनवाड़ी केन्द्र निरीक्षण की [illegible] विभागीय/निदेशालय निदेशानुसार नही किया गया है।

अतः महोदय से पुनः अनुरोध है कि शीघ्र ही अपने स्तर या [illegible] पदाधिकारी महोदय के स्तर से उपरोक्त तथ्यो की जाँच करवाते हुऐ आवश्यक कार्योपरान्त संबंधित दोषी पदाधिकारी एवं संबंधित दोषी कर्मी के विरूद्ध विभागीय निदेशानुसार कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग निगरानी कोषांग के [illegible] पदाधिकारी महोदय के साथ सचिव महोदय समाज कल्याण विभाग को प्रतिवेदित करने की कृपा की जाय। तथा कृत कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराने की कृपा कि जाय। अन्यथा वित्तीय अनियमित्ता होने पर इसकी पूनः जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी के साथ साथ आपकी भी होगी ।

विश्वास भाजन

[illegible signature]
06.06.2024

([illegible])

ग्राम--[illegible]

पो0--[illegible]

थाना- [illegible]

जिला [illegible]

बिहार

पिन कोड [illegible]

मो0 नं0--[illegible]

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी महोदय बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— निदेशक महोदय आई0सी0डी0एस0 बिहार की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— संयुक्त सचिव (निगरानी) समाज कल्याण विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— सचिव महोदय समाज कल्याण विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

2.

समाहरणालय, बेगूसराय

(आई0सी0डी0एस0 शाखा)

245

पत्रांक- 732 / दिनांक- 06/07/2024

प्रेषक,

सुगंधा शर्मा,
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
बेगूसराय।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
मंझौल।

विषयः-- डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही (बेगूसराय) के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्र की जाँच के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही (बेगूसराय) द्वारा विभागीय निदेश की अवहेलना कर वित्तीय कार्य किये जाने की जाँच कराने हेतु साबिक अहमद नजीरी, ग्रा0-- गुरूल्लाहपुर, पो0-- दौलतपुर, थाना-- खोदावंदपुर, बेगूसराय-पिनकोड-- 848202, मो0-- [illegible] द्वारा दिनांक 30.05.2024 एवं 06.06.2024 को प्राप्त परिवाद पत्र की [illegible] संलग्न [illegible]।

अतः अनुरोध है कि संलग्न परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं के [illegible] परियोजना कार्यालय, खोदावंदपुर एवं छौड़ाही की जाँच कराकर [illegible] उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः- यथोक्त।

विश्वासभाजक,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
बेगूसराय।

ज्ञापांक-- 732 / दिनांक-- 06/07/2024

प्रतिलिपिः-- साबिक अहमद नजीरी, ग्रा0-- गुरूल्लाहपुर, पो0-- दौलतपुर, थाना-- खोदावंदपुर, बेगूसराय-पिनकोड-- 848202 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
बेगूसराय।

३ .   243

कार्यालय बाल विकास परियोजना छौराही जिला बेगूसराय

स्पष्टीकरण करते हुए   पत्रांक 238

प्रेषक, [illegible]

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
छौराही।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,

मंझौल।

छौराही / दिनांक– 01.08.24

विषयः– साविक अहमद नजीरी के परिवाद के संबंध में।

प्रसंग– भवदीय पत्रांक–686 दिनांक–23.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री साविक अहमद नजीरी द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं एवं आंगनबाड़ी सेविका को परेशान करने के लिए [illegible] पत्र के निदेश के बावजूद श्री नजीरी द्वारा लगाए गए [illegible] उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

अनुरोध है कि उनके तथ्यहीन आरोपों के विरुद्ध विचार करते हुए कि उन्होंने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया के आधार पर अपना प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम कार्यालय को भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

[signature]

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
छौराही।

अनुमंडल कार्यालय, मंझौल

जिला–बेगूसराय (बिहार)

बिहार सरकार

E-mail Id :- sdo.manjhaul@gmail.com

बिहार सरकार

Mobile no. [illegible]

242 | 170

ज्ञापांक 686 दिनांक : 23/07/24

नोटिस

प्रेषित,

1. साबिक अहमद नजीरी, ग्राम–नुरुल्लाहपुर, पंचायत व पोस्ट– दौलतपुर, प्रखंड व थाना– खोदावंदपुर, जिला–बेगूसराय..प्रथम पक्ष

बनाम

1. डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर/छौड़ाही जिला–बेगूसराय.....द्वितीय पक्ष

वजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–732/आई0सी0डी0एस0, दिनांक– 06.07.2024 के द्वारा साबिक अहमद नजीरी, ग्राम–नुरुल्लाहपुर, पंचायत व पोस्ट– दौलतपुर, प्रखंड व थाना– खोदावंदपुर, जिला–बेगूसराय का प्राप्त परिवाद पत्र जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही द्वारा विभागीय निदेश की अवहेलना कर [illegible] पोषाहार [illegible] हेतु [illegible] जाने तथा WBNP योजना का चावल भंडार में रहने के बावजूद आँगनबाड़ी [illegible] को पोषाहार [illegible] WBNP योजना के चावल [illegible] मूल्य के अनुरूप उक्त [illegible] सेविका के भंडार का अवलोकन किये बगैर [illegible] की राशि जोड़कर दिये जाने एवं THR का वितरण नहीं कर सकने [illegible] करने और प्रधान सहायक एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर द्वारा [illegible] राशि किसी आम आदमी के खाते में भेजकर उक्त राशि आम आदमी से नगद रूप में वापस [illegible] पदाधिकारी द्वारा लेने आदि वित्तिय अनियमित्ता/गबन के आरोप के संबंध में है। वर्णित आरोपों की जाँच कर प्रतिवेदन की माँग की गई है।

अतः वर्णित परिपेक्ष में परिवादकर्त्ता को निदेशित किया जाता है कि वर्णित आरोपों के संदर्भ में दिनांक–27.07.2024 के पूर्वाह्न 11:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में [illegible] सहित अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर/छौड़ाही को निदेश दिया जाता है कि खोदावंदपुर एवं छौड़ाही का आवंटन पंजी, कैश बुक, [illegible] व्यवहृत चेक बुक आदि के साथ ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।

इसे सख्त ताकिद समझें।

23/07/24

अनुमंडल पदाधिकारी

मंझौल।

Letter Type By Utkarsh Kumar (July-2024)

241

अनुमंडल कार्यालय, मंझौल

जिला–बेगूसराय (बिहार)

E-mail Id :- sdo.manjhaul@gmail.com

Mobile No.- 94731914

ज्ञापांक....760.......... दिनांक : 05/08/24

प्रेषित,

डॉ0 दर्शना कुमारी,
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
खोदावंदपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही।

विषय :– परिवादी साबिक अहमद नजीरी, का प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण।

प्रसंग :– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–732 दिनांक–06.07.2024 एवं आपका पत्रांक–238 दिनांक – 01.08.2024

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके विरूद्ध साबिक अहमद [illegible] नुरूल्लाहपुर, पो0– दौलतपुर, थाना व अंचल– खोदावंदपुर, जिला– बेगूसराय का प्राप्त परिवाद पत्र [illegible] निदेश की अवहेलना कर वित्तिय कार्य किये जाने, WBNP योजना का चावल आँगनवाड़ी सेविकाओं [illegible] उपलब्ध रहने के बावजूद भी आँगनवाड़ी सेविकाओं को पोषाहार संचालन हेतु बिना भंडार का [illegible] WBNP योजना के चावल का मूल्य के अनुरूप पोषाहार की राशि [illegible] किये जाने, [illegible] बिना किसी आदेश की निकासी करने और विभाग से प्राप्त [illegible] में [illegible] करने एवं उक्त राशि [illegible] वर्णित आरोपों की जाँचकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आरोपों के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक–686 दिनांक–23.07.2024 से [illegible] आपको को विधिवत नोटिस निर्गत कर साक्ष्य सहित दिनांक–27.07.24 को पूर्वाह्न 11:30 बजे [illegible] कार्यालय प्रकोष्ठ में सदेह उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। निर्धारित तिथि [illegible] के क्रम मे परिवादी द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा WBNP योजना में आँगनवाड़ी सेविकाओं [illegible] किये बगैर राशि दिया गया है, अंडा एवं गैस की राशि को विलंब से भेजा जाता है, [illegible] नहीं किया गया है, भाड़े की गाड़ी का भुगतान वाहन मालिक [illegible] जा रहा है, ऑगनवाड़ी केन्द्र सं0–101 के चयनमुक्त सेविका को [illegible] रहा है, साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाता है। [illegible] हेतु आपसे योजनाभार आवंटन पंजी, कैश बुक, भंडार पंजी / वितरण पंजी एवं व्यवहृत चेकबुक आदि [illegible] आपके द्वारा वांछित पंजी दूसरे दिन उपलब्ध कराने की बात कही गई, जबकि इस कार्यालय के निर्गत नोटिस [illegible] पंजी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार आपके द्वारा जाँच में अपेक्षित सहयोग [illegible] गया साथ ही एक लम्बी अवधि के उपरांत भी वांछित पंजी अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया [illegible] 03.08.2024 को ई–मेल के माध्यम से अपने पत्रांक 238 दिनांक–01.08.2024 से [illegible] अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए तदानुसार प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी [illegible] भेजने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार आपका यह कृत स्वेच्छाचारिता, [illegible] एवं [illegible] की अवहेलना का धोतक है और प्रथम दृष्टिया वादी द्वारा आपके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संपुष्ट [illegible]

अतः वर्णित परिपेक्ष्य में पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि [illegible] इस कृत के लिए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, महोदय बेगूसराय को [illegible] दिया जाय।

अनुलग्नक – यथोक्त।

[illegible]
अनुमंडल पदाधिकारी
मंझौल

240

समाहरणालय, बेगूसराय
(आई0सी0डी0एस0 शाखा)

पत्रांक 986 / दिनांक 23-08-2024 /

प्रेषक,

सुगंधा शर्मा,
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
बेगूसराय।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
मंझौल।

विषयः– डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही (बेगूसराय) के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्र की जाँच के संदर्भ में श्रीमती ललिता देवी, पति–सुदामा पासवान का परिवाद पत्र का प्रेषण।

प्रसंगः– जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय पत्र प्राप्ति क्रम सं0–3630, दिनांक–21.08.2024

महाशय,

सपर्युक्त विषयक कहना है कि इस कार्यालय के पत्रांक–732, दिनांक–03.07.2024 द्वारा डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही (बेगूसराय) द्वारा विभागीय निदेश की अवहेलना कर वित्तीय कार्य किये जाने की जाँच हेतु प्रेषित परिवाद पत्र के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय पत्र प्राप्ति क्रम सं0–3630 दिनांक–21.08.2024 द्वारा प्राप्त श्रीमती ललिता देवी, पति–सुदामा पासवान, ग्राम– पो0–मंझौल, चेरियाबरियारपुर, जिला– बेगूसराय, पिन–851127 का परिवाद पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
बेगूसराय।

ज्ञापांक– 986 / दिनांक– 23-08-2024 /

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
बेगूसराय।

239

72

19 AUG

सेवा में,

डी०एम० साहब,
बेगूसराय।

महाशय,

डॉ० दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में परिवाद के जांच के लिए एस.डी.ओ. मंझौल को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा मनोनित किया गया। दर्शना कुमारी ने नोटिस लेने के बावजूद मांगे गये कागजात प्रस्तुत नहीं किये। सी०डी०पी०ओ० सुगन्धा शर्मा को जांच से बचाने के लिए तीन लाख रूपये का पेमेन्ट किया तथा एस.डी.ओ. को आदेश दिया कि साक्ष्य नहीं आया है इस आधार पर जिला प्रोग्राम को प्रतिवेदन भेजे जो घोर अनुशासनहीनता है।

इस पर जब एस.डी.ओ. साहब ने 24 घंटे में जवाब मांगा तो दर्शना कुमारी का कहना हुआ कि एस.डी.ओ. की औकात क्या है। डी.एम. हमलोगों का कुछ नहीं कर सकता है। जब तक डी.पी.ओ. मैडम है, मैं शो-कॉज का जवाब नहीं दूंगी। मैडम सब संभाल लेंगी।

श्रीमान् को सूचना हेतु प्रेषित।

3680
21/8/24

विश्वासभाजिका
Lalita Devi
ललिता देवी,
प०-सुदामा पासवान,
सिओरी, पी.ओ. मंझौल,
चेरिया बरियारपुर,
जिला-बेगूसराय-8511[illegible]

कार्यालय बाल विकास परियोजना, छौड़ाही (बेगूसराय)।

पत्रांक 256/

प्रेषक,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
छौड़ाही, (बेगूसराय)।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
मंझौल।

छौड़ाही, दिनांक 23-08-24

विषय :-   स्पष्टीकरण से मुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री साबिक अहमद नजीरी द्वारा प्रेय
परिवाद में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक–238 दिनांक–01.03.
2024 द्वारा जो आग्रह किया गया उसका उद्देश्य भवदीय को जॉच में असहयोग कराना अथवा
ठेस पहुँचाना कतई बिलकुल भी नही था। यदि उक्त पत्र से लेश मात्र भी ऐसी भावना उजागर
होती है तो मै इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे उक्त पत्र का तात्पर्य यह था कि श्री साबिक
अहमद नजीरी स्वयं को चेरिया बरियारपुर को बाल विकास परि० पदा० श्रीमती अंजना कुमारी
के पति कहते है और फरवरी 2024 में जब श्रीमती अंजना कुमारी का पदस्थापन चेरिया
बरियारपुर में हुआ तब Verification (19 फरवरी, 2024) की तिथि के अगले ही दिन
दिनांक–20.08.2024 को श्रीमती अंजना कुमारी ने मेरे अवकाश में रहने की स्थिति में स्वतः
प्रभार ग्रहण कर अपना हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षर हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को भेज
दिया परन्तु हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षरीत होकर नही आया। मेरे अवकाश से वापस आने के बाद भी
इनका हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षरित होकर नही आया। जब मैं कार्यालय गई तो श्रीमती अंजना ने
उपस्थित कर्मियों के समक्ष मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया जो लिखने योग्य नही है। भवदीय
को पूर्व में भी इस संबंध में बताई हूँ। मार्च Closing और कर्मियों के हित में जो भी उचित
लगा मेरे द्वारा इनके हस्ताक्षर के प्रतिहस्ताक्षरित होकर आने अथवा जिला पदाधिकारी के
आदेश की प्रत्याशा में अत्यंत आवश्यक वित्तीय सव्यवहार किया गया, तथा दिनांक 07.03.
2024 की संध्या में जिला पदाधिकारी के आदेश निर्गत होने के साथ ही दिनांक–08.03.2024
को महाशिवरात्रि के अवकाश के पश्चात् 09.03.2024 को मेरे द्वारा चेरिया बरियारपुर का प्रभार
श्रीमती अंजना कुमारी को दे दिया गया। इस बात की खुन्नश में श्री साबिक अहमद नजीरी
द्वारा अनगिनत सूचना का अधिकार संबंधी मॉग तथा Fake परिवाद डलवाना प्रारंभ किया
गया। प्रारंभ में इनका और इनकी पत्नी का जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय से भी मधुर
संबंध रहा परन्तु जैसे ही उनके द्वारा इनके मनोनुकूल कार्यों का समर्थन नहीं किया गया।
समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन रहने पर श्रीमती अंजना कुमारी, को [illegible] [illegible]

237

...के बाद में इन्होंने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के खिलाफ भी परिवाद डालना प्रारंभ कर दिया और इसमें हमारे जिला पदाधिकारी तक को शामिल कर लिया। इनके द्वारा यहाँ तक लिखा गया है कि जिला पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के हाथ की कठपुतली है। भवदीय को यह भी बताना चाहूँगी कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 640 दिनांक -10.02. 2021 द्वारा श्रीमती अंजना कुमारी तत्कालीन बाल विकास परि0 पदा0 शिवाजी नगर के कार्यों में श्री नजीरी की दखलंदाजी करने एवं ऑगनबाड़ी सेविकाओं के बीच भय का वातावरण बनाने अवैध वसूली करने आदि जैसी गतिविधियों के कारण श्रीमती अंजना कुमारी निलंबित भी हुई थीं। तत्पश्चात् बहेरी में भी निलंबित रही है। वर्तमान समय में जो भी इनके मन कि विरूद्ध हैं उनके खिलाफ यह सूचना का अधिकार, परिवाद जैसे अधिकारों का खुल कर दुरूपयोग करते रहे है चाहे वह जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय हो अथवा कई अन्य बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा श्रीमती अंजना कुमारी एवं श्री साबिक अहमद नजीरी के विरूद्ध आवेदन भी समर्पित किया जा चुका है। भवदीय द्वारा इसकी पुष्टि भी की जा सकती है। इनके द्वारा धमकी दी गई है कि यह मेरी नौकरी खा जाएँगे। इनकी पहुँच मंत्री जी तक है। ऐसे–ऐसे अनगिनत Fake आरोप Fake परिवाद का प्रचलन बेगूसराय में इस कदर बढ़ गया है कि बाल विकास परि0 पदाधिकारियों का कार्य करना मुश्किल हो गया है। इसमें श्री नजीरी जो स्वयं जिला सहकारिता विभाग में डाटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से कुछ अनुचित मॉगों को नही मानना मुख्य कारण माना जा सकता है। अन्यथा क्या जरूरत है कि कोई व्यक्ति जो स्वयं को बाल विकास परि0 पदा0 का पति कहे वह अन्य बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के विरूद्ध ही सूचना का अधिकार और परिवाद जैसे अधिकारों का गलत मंशा से प्रयोग करे। ... पदाधिकारी का एक संवर्ग होता है जिसमें एक दूसरे का सम्मान एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होती है परन्तु इनकी तो मंशा ही सभी को परेशान करने की है। यह बात इससे भी पुष्टि होती है, कि सिर्फ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बेगूसराय ही नहीं समस्तीपुर (शिवाजी नगर) और बहेरी की जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों ने भी इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित किया जिसकी सजा श्रीमती अंजना कुमारी काट कर यहाँ आई है।

बाल विकास परियोजना कार्यालय छौड़ाही के पत्रांक–238 दिनांक–01.08.2024 के द्वारा भवदीय से किए गए आग्रह का मुख्य उद्धेश्य यही था कि श्री नजीरी के उक्त प्रवृति को बढ़ावा ना मिले।

भवदीय के समक्ष अनुशासनहीनता अथवा असहयोग करना मेरा उद्धेश्य कभी नही रहा। मैं यथाशीघ्र दोनों परियोजनाओं के आवश्यक दस्तावेजों को भवदीय अवलोकन हेतु उपस्थापित कर दूँगी। अनुरोध है कि स्पष्टीकरण से मुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

Kumari
23/08/2024

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
छौड़ाही।

(8) 236

कार्यालय बाल विकास परियोजना, खोदावन्दपुर (बेगूसराय)।

पत्रांक 367/

प्रेषक,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
खोदावन्दपुर, (बेगूसराय)।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
मंझौल।

खोदावंदपुर, दिनांक 23/08/24

विषय :- स्पष्टीकरण से मुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री साबिक अहमद नजीरी द्वारा [illegible] परिवाद में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक--238 दिनांक--01.08.2024 द्वारा जो आग्रह किया गया उसका उद्देश्य भवदीय को जॉच में असहयोग कराना अथवा ठेस पहॅचाना कतई बिलकुल भी नही था। यदि उक्त पत्र से लेश मात्र भी ऐसी भावना उजागर होती है तो मै इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूॅ। मेरे उक्त पत्र का तात्पर्य यह था कि श्री साबिक अहमद नजीरी स्वयं को चेरिया बरियारपुर को बाल विकास परियोजना श्रीमती अंजना कुमारी के पति कहते हैं और फरवरी 2024 में जब श्रीमती अंजना कुमारी का पदस्थापन चेरिया बरियारपुर में हुआ तब Verification (19 फरवरी, 2024) की तिथि के अगले ही दिन दिनांक--20.08.2024 को श्रीमती अंजना कुमारी ने मेरे अवकाश में रहने की स्थिति में स्वतः प्रभार ग्रहण कर अपना हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षर हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को भेज दिया परन्तु हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षरीत होकर नही आया। मेरे अवकाश से वापस आने के बाद भी इनका हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षरित होकर नही आया। जब मै कार्यालय गई तो श्रीमती अंजना ने उपस्थित कर्मियों के समक्ष मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया जो लिखने योग्य नही है। भवदीय को पूर्व में भी इस संबंध में बताई हूॅ। मार्च Closing और कर्मियों के हित में जो भी उचित लगा मेरे द्वारा इनके हस्ताक्षर के प्रतिहस्ताक्षरित होकर आने अथवा जिला पदाधिकारी के आदेश की प्रत्याशा में अत्यंत आवश्यक वित्तीय सव्यवहार किया गया, तथा दिनांक 07.03.2024 की संध्या में जिला पदाधिकारी के आदेश निर्गत होने के साथ ही दिनांक--08.03.2024 को महाशिवरात्रि के अवकाश के पश्चात् 09.03.2024 को मेरे द्वारा चेरिया बरियारपुर का प्रभार श्रीमती अंजना कुमारी को दे दिया गया। इस बात की खुन्नश में श्री साबिक अहमद नजीरी द्वारा अनगिनत सूचना का अधिकार संबंधी मॉग तथा Fake परिवाद डलवाना प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में इनका और इनकी पत्नी का जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय से भी मधुर संबंध रहा परन्तु जैसे ही उनके द्वारा इनके मनोनुकूल कार्यों का समर्थन नहीं किया गया। समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन रहने पर श्रीमती अंजना कुमारी को [illegible]

235

उसके बाद में इन्होंने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के खिलाफ भी परिवाद डालना प्रारंभ कर दिया और इसमें हमारे जिला पदाधिकारी तक को शामिल कर लिया। इनके द्वारा यहाँ तक लिखा गया है कि जिला पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के हाथ की कठपुतली है। भवदीय को यह भी बताना चाहूँगी कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 640 दिनांक–10.02.2021 द्वारा श्रीमती अंजना कुमारी तत्कालीन बाल विकास परि0 पदा0 शिवाजी नगर के कार्यों में श्री नजीरी की दखलंदाजी करने एवं ऑगनबाड़ी सेविकाओं के बीच भय का वातावरण बनाने अवैध वसूली करने आदि जैसी गतिविधियों के कारण श्रीमती अंजना कुमारी निलंबित भी हुई थीं। तत्पश्चात् बहेरी में भी निलंबित रही है। वर्तमान समय में जो भी इनके मत के विरूद्ध हैं उनके खिलाफ यह सूचना का अधिकार, परिवाद जैसे अधिकारों का खुल कर दुरूपयोग करते रहे है चाहे वह जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय हो अथवा कई अन्य बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा श्रीमती अंजना कुमारी एवं श्री साकिब अहमद नजीरी के विरूद्ध आवेदन भी समर्पित किया जा चुका है। भवदीय द्वारा इसकी पुष्टि भी की जा सकती है। इनके द्वारा धमकी दी गई है कि यह मेरी नौकरी खा जाएँगे। इनकी पहुँच मंत्री जी तक है। ऐसे–ऐसे अनगिनत Fake आरोप Fake परिवाद का प्रचलन बेगूसराय में इस कदर बढ़ गया है कि बाल विकास परि0 पदाधिकारियों का कार्य करना मुश्किल हो गया है। इसमें श्री नजीरी जो स्वयं जिला सहकारिता विभाग में डाटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से कुछ अनुचित मॉगों को नही मानना मुख्य कारण माना जा सकता है। अन्यथा क्या जरूरत है कि कोई व्यक्ति जो स्वयं को बाल विकास परि0 पदा0 का पति कहे वह अन्य बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के खिलाफ ही सूचना का अधिकार और परिवाद जैसे अधिकारों का गलत ढंग से प्रयोग करें। हर पदाधिकारी का एक संवर्ग होता है जिसमें एक दूसरे का सम्मान एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होती है परन्तु इनकी तो मंशा ही सभी को परेशान करने की है। यह बात इससे भी पुष्टि होती है, कि सिर्फ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बेगूसराय ही नहीं समस्तीपुर (शिवाजी नगर) और बहेरी की जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों ने भी इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित किया जिसकी सजा श्रीमती अंजना कुमारी काट कर यहाँ आई है।

बाल विकास परियोजना कार्यालय छौड़ाही के पत्रांक–238 दिनांक–01.08.2021 के द्वारा भवदीय से किए गए आग्रह का मुख्य उद्धेश्य यही था कि श्री नजीरी के उक्त प्रवृति को बढ़ावा ना मिले।

भवदीय के समक्ष अनुशासनहीनता अथवा असयोग करना मेरा उद्धेश्य कभी नही रहा। मैं यथाशीघ्र दोनों परियोजनाओं के आवश्यक दस्तावेंजों को भवदीय अवलोकन हेतु उपस्थापित कर दूँगी। अनुरोध है कि स्पष्टीकरण से मुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

23/08/2021

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
खोदावंदपुर।

अनुमंडल कार्यालय, मंझौल

जिला–बेगूसराय (बिहार)

बिहार सरकार

E-mail Id :- sdo.manjhaul@gmail.com

बिहार सरकार

Mobile No- 9473191417

पत्रांक 1095 दिनांक : 16/10/24

18 OCT 2024

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
मंझौल।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

विषय :– डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्र के जाँच के संबंध में।

प्रसंग :– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–732 दिनांक–06.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के द्वारा डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही के विरूद्ध साबिक अहमद नजीरी, ग्राम– नुरूल्लाहपुर, पो0– दौलतपुर, थाना व अंचल– खोदावंदपुर, जिला– बेगूसराय का प्राप्त परिवाद पत्र जो विभागीय निदेश की अवहेलना कर वित्तिय कार्य किये जाने, WBNP योजना का चावल आँगनवाड़ी सेविकाओं के भंडार मे उपलब्ध रहने के बावजूद भी आँगनवाड़ी सेविकाओं को पोषाहार संचालन हेतु बिना भंडार का सत्यापन किये बगैर WBNP योजना के चावल का मूल्य के अनुरूप पोषाहार की राशि जोड़कर दिये जाने, THR का वितरण नहीं कर राशि बिना किसी आदेश की निकासी करने और विभाग से प्राप्त आवंटित राशि की निकासी किसी आम आदमी के खाते में भेजकर करने एवं उक्त राशि आम आदमी से नकद वापस लेने आदि आरोपों के संबंध में है। उक्त परिवाद पत्र में वर्णित आरोपों की जाँचकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

वर्णित आरोपों के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक–686 दिनांक–23.07.2024 से वादी एवं प्रतिवादी को विधिवत् नोटिस निर्गत कर साक्ष्य सहित दिनांक–27.07.24 को पूर्वाह्न 11:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में सदेह उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। उक्त आलोक में निर्धारित तिथि को उभय पक्ष उपस्थित हुए तत्पश्चात जाँच के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिवाद पत्र में वर्णित आरोपों के आलोक में डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से योजनावार आवंटन पंजी, कैश बुक, भंडार पंजी/वितरण पंजी एवं व्यवहृत चेकबुक आदि की माँग करने पर उनके द्वारा वांछित पंजी दूसरे दिन उपलब्ध कराने की बात कही गई, जबकि इस कार्यालय के निर्गत नोटिस में वांछित पंजी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार उनके द्वारा जाँच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया साथ ही एक लम्बी अवधि के उपरांत भी वांछित पंजी अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया, बल्कि दिनांक–05.08.2024 को डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा ई–मेल के माध्यम से अपने पत्रांक 238 दिनांक–01.08.2024 से अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन भेजते हुए अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए तदनुसार प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को भेजने का अनुरोध किया गया है। उक्त आलोक मे कार्यालय ज्ञापांक–760 दिनांक–05.08.2024 द्वारा पुनः डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी स्पष्टीकरण की मॉग की गई जिसके प्रतिउत्तर में डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–256 एवं 360 दिनांक– 23.08.2024 से वांछित पंजी/दस्तावेज जॉच हेतु यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की बात कही गई, परन्तु एक लम्बी अवधि बीत जाने उपरांत भी वांछित पंजी जॉच हेतु अबतक उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का यह कृत स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन एवं लापरवाही का धोतक है और प्रथम दृष्टया वादी द्वारा लगाये गये आरोपों को संपुष्ट करता है।

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में डॉ0 दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर एवं अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक –– यथोक्त।

विश्वासभाजन

16/10/24

अनुमंडल पदाधिकारी
मंझौल।